भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5604
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय प्रवासियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण

5604. **श्री पुष्पेंद्र सरोजः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को संकट के दौरान श्रम अधिकारों, कानूनी संरक्षण और स्वदेश वापसी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, उचित व्यवहार और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं; और

(घ) भारत किस प्रकार भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य वातावरण/स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहा है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों को भारतीय कामगारों से प्राप्त अधिकांश शिकायतें श्रम विवादों (वेतन का भुगतान न करना या भुगतान में देरी, छुट्टी या 'निकासी /प्रवेश परमिट' देने से इनकार करना, 'अंतिम निकासी वीज़ा' की व्यवस्था करने से इनकार करना, निवास परमिट के नवीनीकरण/जारी करने में देरी आदि) से संबंधित हैं।

भारत सरकार विदेश में भारतीय प्रवासी कामगारों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 विदेश में रोजगार को नियंत्रित करने वाली नियामक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। यह अधिनियम शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय स्थापित करता है, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं को नियंत्रित करता है, तथा उत्प्रवास मंजूरी को अनिवार्य बनाता है। इनका प्रवर्तन उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों (पीओई) के माध्यम से किया जाता है, जो उत्प्रवासन प्रक्रिया की देखरेख के लिए पूरे देश में स्थापित किए गए हैं।

कल्याणकारी पहलें

विदेश में भारतीय कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सुरक्षित और जानकारीपूर्ण प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। उत्प्रवास प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने ई-माइग्रेट 2.0 की शुरुआत की है, जो विदेश मंत्रालय के विदेशी रोजगार (ओई) और उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) प्रभाग के तहत विकसित एक परिवर्तनकारी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी और एपीआई-आधारित आर्किटेक्चर

द्वारा संचालित यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) दृष्टिकोण के अनुरूप, विदेश में रोजगार प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है।

उल्लेखनीय योजनाओं में प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पी-डीओटी) शामिल हैं। पीबीबीवाई 18 निर्दिष्ट देशों में जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के कामगारों के लिए अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। इस योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, जिसमें दो वर्षों के लिए न्यूनतम प्रीमियम 275 रुपए या तीन वर्षों के लिए 375 रुपए है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत, विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से संचालित पी-डॉट कार्यक्रम, कामगारों को विदेश में रोजगार पाने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण एनएसडीसी और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

सरकार 'विदेश संपर्क' पहल जैसे राज्य स्तरीय आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। मंत्रालय ने 2018 में, वैध और कौशल-आधारित प्रवासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' अभियान शुरू किया है।

शिकायत निवारण तंत्र

इसके अतिरिक्त, सरकार ने संकटग्रस्त परिस्थितियों में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें पार्थिव शरीर को वापस लाना, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और फंसे हुए कामगारों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

ये सेवाएं अनेक माध्यमों से उपलब्ध हैं, जिनमें दूतावासों से प्रत्यक्ष संपर्क, आपातकालीन हेल्पलाइन, मदद और सीपीग्राम जैसे शिकायत निवारण पोर्टल, तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। विदेश में भारतीय कामगारों को प्रत्यक्ष सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र महत्वपूर्ण सहायता केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं तथा कामगारों को उनके अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और द्विपक्षीय व्यवस्था

सरकार गंतव्य देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही संबंधी भागीदारी (एमएमपीए), श्रम संबंधी आवाजाही और श्रम कल्याण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/करारों के माध्यम से भारतीय कामगारों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों आदि की वैश्विक आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इन करारों /समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य भारतीय कामगारों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, और साथ ही उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करना, अनियमित प्रवास को रोकना और कौशल विकास को सहयोग प्रदान करना है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूके के साथ एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, ताइवान, मॉरीशस, मलेशिया और इज़राइल के साथ श्रम आवाजाही करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। जीसीसी देशों के घरेलू कामगारों, जो अक्सर सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय ने सउदी अरब, यूएई और कुवैत के साथ अलग-अलग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुछ प्रवासी समूहों, विशेषकर घरेलू क्षेत्र के कामगारों (डीएसडब्ल्यू) और महिला कामगारों की कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विशिष्ट सुरक्षात्मक उपाय लागू किए हैं। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) और करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो घरेलू कामगारों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु रूपरेखा प्रदान करते हैं।इसके अतिरिक्त, केवल सरकार द्वारा नियंत्रित भर्ती एजेंसियों को ही इन श्रेणियों की महिला कामगारों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है, तथा शोषण के जोखिम को कम करने के लिए उनके प्रवासन की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/बहुपक्षीय सम्मेलनों और मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच, अबू धाबी वार्ता, बुडापेस्ट प्रक्रिया, प्रवासन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्षेत्रीय समीक्षा जिसमें सुरक्षित और नियमित श्रम प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सर्वोत्तम परिपाटियों और चर्चाओं को साझा करना शामिल है। भारत ने 2024 में दो वर्ष की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भी ग्रहण की।

संकट की स्थिति में भारतीयों का प्रत्यावर्तन

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सुव्यवस्थित संचालन के माध्यम से युद्ध और आंतरिक संघर्ष से प्रभावित देशों, जैसे यमन (2015), लीबिया (2014), इजराइल (2023) और सीरिया (2024) आदि से संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने में सहायता की है। भारतीय नागरिकों के शीघ्र और सुचारू प्रत्यावर्तन की भारत और विदेश में व्यापक सराहना की गई है।

*****